

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

**विषय:- उत्तर प्रदेश मूल्य संबद्धित कर अधिनियम की धारा-2008 के अन्तर्गत कतिपय वस्तुओं पर
वैट की कर की दर में संशोधन।**

राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति संख्या-क०नि०-2-2758 /11-9-(1)/08- 30प्र० अधिनियम -5-2008-आदेश-
(29)-2008 दिनांक 29 सितम्बर 2008 के द्वारा अनुसूची - एक, दो एवं चार में संशोधन किया गया है इस
संशोधन की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:-

अनुसूची-एक, में संशोधन

- 1- क्रमांक -7 पर किताबें, पीरिओडिकल्स एवं जर्नल जिसमें ब्रेल पुस्तिकाएं, नक्शों सम्मिलित हैं, के स्थान पर किताबें, पीरिओडिकल्स एवं जर्नल जिसमें ब्रेल पुस्तिकाएं, नक्शों सम्मिलित हैं: किसी शिक्षा परिषद या काउंसिल के पाठ्यक्रम में निर्धारित वर्कबुक या ऐसी वर्कबुक जिन पर लेखकों के नाम अंकित हों, के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, परिणामस्वरूप किसी शिक्षा परिषद या काउंसिल के पाठ्यक्रम में निर्धारित वर्कबुक या ऐसी वर्कबुक जिन पर लेखकों के नाम अंकित हों, को भी करमुक्त कर दिया गया है। इसमें से साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट को हटा करके अनुसूची -2 के क्रमांक-136 में शामिल कर लिया गया है।
- 2- क्रमांक-11 में अंकित प्रविष्टि को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार कर दिया गया है: चरखा, अम्बर चरखा, हथकरघा (जिसमें पिटलूम, फ्रेमलूम, लाईट शटल लूम एवं पैडल लूम सम्मिलित हैं) खादी/खदर एवं हैण्डलूम वस्त्रों के उत्पादन में प्रयोग होने वाले उपकरण एवं उनके पार्ट्स आदि: खादी फैब्रिक आफ आल काइन्ड्स, गाँधी टोपी, खादी गार्मेन्ट्स एण्ड खादी मेड अप्स जिसमें बिना भरे रजाई के खोल, बिना भरे गद्दे के खोल, बिना भरे गद्दी के खोल बिना भरे तकिया के खोल सम्मिलित हैं। उपरोक्त संशोधन के फलस्वरूप गाँधी टोपी, खादी गार्मेन्ट्स एण्ड खादी मेड अप्स जिसमें बिना भरे रजाई के खोल, बिना भरे गद्दे के खोल, बिना भरे गद्दी के खोल बिना भरे तकिया के खोल सम्मिलित हैं जिन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगता था ये वस्तुएं करमुक्त हो गयी हैं। अतः इन पर दिनांक 30-09-2008 से कोई कर देय नहीं होगा। इसी के साथ-साथ खादी फैब्रिक्स आफ आल काइन्ड्स को भी शामिल कर लिया गया है इस पर भी कोई कर देयता नहीं रह गयी है।
- 3- क्रमांक-48 में हस्तनिर्मित कागज को शामिल कर लिया गया है परिणामस्वरूप दिनांक 30-09-2008 से हस्तनिर्मित कागज करमुक्त हो गया है अब इस पर कोई कर देयता नहीं रह गयी है।

अनुसूची-दो भाग-क में संशोधन -

- 1- क्रमांक-9 पर आर्केनट पाउडर तथा बीटेल नट रखा गया था परिणामस्वरूप इन पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता था अब इसे यहां से निकाल दिया गया है परिणामस्वरूप आर्केनट पाउडर तथा बीटेल नट अर्थात् सुपाड़ी और पाउडर पर 4 प्रतिशत के स्थान पर दिनांक 30-09-2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता हो गयी है।

2- क्रमांक-22 पर कोलतार (विटुमिन) अंकित था इसको भी यहाँ से विलोपित कर दिया गया है परिणामस्वरूप कोलतार (विटुमिन) पर 4 प्रतिशत के स्थान पर अब दिनांक 30-9-2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता हो गयी है।

3- क्रमांक-26 पर मशीनरी, इक्वूपमेंट, आपरेटस, टूल्स मोल्ड, डाइज एवं कम्पोनेट, स्पेयर पार्ट्स एसेसरीज इत्यादि अर्थमूवर अंकित था इसे विलोपित कर दिया गया है परिणामस्वरूप टूल्स को छोड़कर इन वस्तुओं पर 4 प्रतिशत के स्थान पर दिनांक 30-09-2008 से 12.5 प्रतिशत की करदेयता हो गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ वस्तुएं जनरेटर आदि को मशीनरी मान करके 4 प्रतिशत की दर से कर लगता था इन पर भी 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा। टूल्स अनुसूची 2क के क्रमांक -123 पर भी अंकित है अतएव टूल्स पर 4 प्रतिशत की दर से करदेय बना रहेगा।

4- क्रम संख्या-33 पर काफी की फलियाँ एवं बीज, कोको की फलियाँ एवं बीज, हरी चाय पत्ती एवं चिकोरी को रखा गया है इस प्रविष्टि को हटा दिया गया है परिणामस्वरूप इन वस्तुओं पर 4 प्रतिशत के स्थान पर दिनांक 30-9-08 से 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी।

5- क्रमांक-41 पर ड्रग एवं मेडिसिन टीका, सुईयों एवं ड्रेसिंग, औषधीय लेप, आई0पी0 स्तर का हल्का तरल पैराफीन सम्मिलित है, के स्थान पर ड्रग एवं मेडिसिन जिसमें मेडिकेटेड सोप, शैम्पू, एन्टीसेप्टिक क्रीम, फेस क्रीम, मसाज क्रीम, आई जेल एवं हेयर आयल (जो ड्रग एण्ड कासमेटिक्स रूल्स 1945 की अनुसूची -सी, सी (1), एच व एक्स में शामिल नहीं है) सम्मिलित नहीं है किन्तु जिसमें टीका औषधीय लेप आई0पी0स्तर का हल्का लिक्विड पैराफिन सम्मिलित है ; चूरन ; होम्योपैथी में चिकित्सीय उपयोग हेतु शुगर पिल्स।

परिणामस्वरूप मेडिकेटेड सोप, शैम्पू, एन्टीसेप्टिक क्रीम, फेस क्रीम, मसाज क्रीम, आई जेल एवं हेयर आयल (जो ड्रग एण्ड कासमेटिक्स रूल्स 1945 की अनुसूची -सी, सी (1), एच व एक्स में शामिल नहीं है) सम्मिलित नहीं है, को इस कटेगरी से हटा दिया गया है अतः इन पर 4 प्रतिशत के स्थान पर अब 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी। इन वस्तुओं पर यदि अब तक 4 प्रतिशत कर देने का विवाद हो तो वह समाप्त हो जायेगा तथा इन पर अब 12.5 प्रतिशत की दर से दिनांक 30-9-2008 से कर लगेगा।

होम्योपैथी दवाओं में प्रयोग होने वाली शुगर की छोटी-छोटी गोलियों (शुगर पिल्स) पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगता था इस कटेगरी में शामिल कर लेने से अब इन पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता दिनांक 30-9-2008 से हो गयी है।

6- क्रमशः 59 पर हौज पाइप एवं फिटिंग की प्रविष्टि है अब से विलोपित कर दिया है परिणामस्वरूप इन पर दिनांक 30-9-2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता हो गयी है।

7- क्रमांक-63 पर निम्न प्रविष्टि थी।

अनुसूची के भाग-ख में यथा उल्लिखित आई0टी0 उत्पाद जिसमें कम्प्यूटर, टेलीफोन एवं उसके पार्ट्स, सेलफोन, सेटेलाइट, रिसीवर, डी0वी0डी0, सी0डी0, टेलीप्रिन्टर तथा वायरलेस उपकरण एवं उसके पुर्जे शामिल हैं। :-

जो वस्तुएं अनुसूची-2ख में नहीं विलोपित की गयी हैं, को छोड़करके सभी वस्तुओं पर दिनांक 30-9-2008 से 12.5 प्रतिशत हो जायेगी, जो वस्तुएं छूटी हैं उनका उल्लेख आगे किया जायेगा।

8- क्रमांक-106 पर रॉ केश्यू अर्थात् कच्चा काजू की प्रविष्टि है, इसको विलोपित कर दिया गया है परिणामस्वरूप इस पर दिनांक 30-9-2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता हो जायेगी।

- 9- क्रमांक-116 पर मसाले एवं कान्डीमेन्ट्स तथा ड्राईफूड से सम्बन्धित प्रविष्टि थी इसमें से ड्राईफूड को हटा दिया गया है, परिणामस्वरूप ड्राईफूड पर दिनांक 30-9-2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता हो गयी है।
- 10- क्रमांक-126 पर ट्रांसफार्मर की प्रविष्टि थी जिसको विलोपित कर दिया गया है परिणामस्वरूप ट्रांसफार्मर पर दिनांक 30-9-2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता हो गयी है।
- 11- क्रमांक- 136 पर लिखने के उपकरण जामेटरी बाक्सेज आदि की प्रविष्टि थी अब इसके अन्तर्गत साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेंट का और जोड़ दिया गया है तथा अनुसूची- 1 के क्रमांक-7 में से साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेंट को हटा दिया गया है परिणामस्वरूप साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेंट जो अब तक करमुक्त थे उन पर अब दिनांक 30-09-08 से 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य हो गया है।

अनुसूची -दो भाग-ख

इस सूची में आईटी0 प्रोडक्ट अंकित किए गये हैं जिसमें क्रमांक-1,2,3,4, 6,7,9, 11,18, 19,21,25 और 27 को हटा दिया गया है परिणामस्वरूप क्रमांक-5 पर अंकित " आईटी0 साफ्टवेयर आर एनी मीडिया " क्रमांक-8 पर अंकित " एरियल,एन्टीना एवं उसके पार्ट्स " क्रमांक-10 पर अंकित " इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स, फिक्स वैरियेबुल एण्ड पार्ट्स " क्रमांक-12 पर अंकित " इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स जिसमें रिह्ओस्टेट एवं पोटेन्शियोमीटर सम्मिलित है परन्तु इसमें हीटिंग रेजिस्टर्स सम्मिलित नहीं है। " क्रमांक-13 पर अंकित " प्रिन्टेड सर्किट्स बोर्ड्स " क्रमांक-14 पर अंकित " स्विचेज, कनेक्टर्स, रिलेज,इलेक्ट्रॉनिक, फ्यूजेज " क्रमांक- 15 पर अंकित " डाटा/ग्राफिक डिस्ले ट्यूब्स, टी0वी0 पार्ट्स, टी0वी0 पिक्चर ट्यूब्स एवं उनके पुर्जे " क्रमांक- 16 पर अंकित " डायोड, ट्रांजिस्टर्स एवं इस प्रकार की अन्य सेमी कन्डक्टर डिवाइस, प्रकाश संवेदी कन्डक्टर डिवाइस जिसमें फोटो वोल्टिक सेल जो चाहे मॉडयूल्स में असेम्बल हो अथवा नहीं या पैनल में लगे हों, प्रकाश उत्सर्जन डायोज, माउटेड पीजो इलेक्ट्रिक कण " क्रमांक-17 पर अंकित " इलैक्ट्रॉनिक इन्टीग्रेटेड सर्किट्स एव माइक्रो असेम्बलीज " क्रमांक-20 पर अंकित " ऑप्टिकल फाइबर एवं ऑप्टिकल फाइबर बंडल्स एवं जोड़ने वाले क्लिप्स एवं इनके जोड़ने वाले पदार्थ " क्रमांक- 22 पर अंकित " कम्प्यूटर सिस्टम एवं पेरिफेरल्स, इलैक्ट्रॉनिक डायरीज " क्रमांक-23 पर अंकित " कैथोड रे औसिलोस्कोप, स्पैक्ट्रम एनालाइजर, क्रास टाक मीटर, गेड मेजरिंग उपकरण, डिस्टोरसन, फैक्टर मीटर, फास्फोमीटर एवं सिगनल एनालाइजर " क्रमांक-24 पर अंकित " डीसी माइक्रो मोटर्स, स्टैपर्स मोटर्स " क्रमांक-26 पर अंकित " परमानेन्ट मैग्नेट अथवा वे वस्तुएं जो परमानेन्ट मैग्नेट अथवा वे वस्तुएं जो परमानेन्ट मैग्नेट बन सकती है (फैराइट्स) " इन वस्तुओं पर 4 प्रतिशत की दर से पूर्व की भाँति करदेयता बनी रहेगी अन्य सभी वस्तुओं पर जिनको हटा दिया गया है दिनांक 30-09-2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी।

अनुसूची -दो भाग- ग में संशोधन

इस सूची के क्रमांक-236 पर इलेक्ट्रिकल गुड्स की प्रविष्टियाँ की गयी है जिनको हटा दिया गया है परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिकल गुड्स पर कर की दर 12.5 प्रतिशत हो गयी है इसके स्थान पर कच्ची तम्बाकू रख दी गयी है अतएव कच्ची तम्बाकू पर 12.5 के स्थान पर दिनांक 30-9-08 से 4 प्रतिशत की दर से करदेयता हो गयी है।

अनुसूची -4 में संशोधन

डीजल, फर्नेश आयल, प्राकृतिक गैस तथा नैप्था की बिक्री कर योग्य वस्तुओं के निर्माण करने वाले व्यापारियों को कमिश्नर द्वारा निर्धारित फार्म-डी से करने पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होती

थी, संशोधन करके 4 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी के साथ-साथ यह सुविधा केवल ऐसी इकाईयों को दी गयी है जो निजी स्वामित्व की या किराये पर ली गयी भूमि या भवन पर स्थापित है। इसके अलावा आर्म्स एवं एम्यूनिशन, एवीएशन टर्वाइन फ्यूल, एवीएशन गैसोलीन, फर्नेश आयल, प्राकृतिक गैस और नैपथा की सामान्य बिक्री पर कर की दर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दी गयी है।

उपरोक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है उसको डाऊन लोड करके इनकी पर्याप्त प्रतियाँ कराकर सभी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ-साथ व्यापार संघों, अधिवक्ता संघों, चार्टर एकाउन्टेन्ट संघों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को उपलब्ध करा दें तथा स्थानीय समाचार-पत्र के माध्यम से इसका समुचित प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। जिन वस्तुओं पर कर की दरें संशोधित करके परिवर्तित की गयी है उन पर परिवर्तित दर से नियमानुसार कर जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(दीपक कुमार)

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्र०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- श्री यू०सी०दीक्षित / श्री एस०सी०द्विवेदी, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त एडीशनल कमिशनर/ज्वाइंट कमिशनर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 4- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 5- समस्त ज्वाइंट कमिशनर (उच्च न्या०/सर्वोच्च न्या० कार्य) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(दीपक कुमार)

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।